बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

विषय : राज्य के तीनों औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों का पुनर्गठन।

राज्य के औद्योगिकरण एवं उद्योगों के गुणात्मक विकास की दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 के अन्तर्गत छः औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, यथा, पटना/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/राँची/आदित्यपुर एवं बोकारो की स्थापना की थी। राज्य के विभाजन के उपरांत उत्तरवर्ती बिहार में तीन प्राधिकार, यथा, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,पटना, उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, दरभंगा अवस्थित है।

2. इन तीन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों के पृथक स्वरूप और इनके कार्यो के आलोक में भविष्य में इन्हें पुनर्गठित कर किस प्रकार इनसे बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए की समीक्षा सरकार द्वारा उद्योग विभाग में गठित समिति द्वारा की गई। समिति में प्राधिकारों के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि, आय के मुख्य श्रोत, प्राप्त राजस्व, आदि पर विचार किया गया। तदोपरांत मंत्रिपरिषद की आर्थिक नीति एवं आर्थिक विषयक समिति ने विचार कर अपनी अनुशंसाएँ दीं।

3. उद्योग विभाग में गठित समिति एवं मंत्रिपरिषद की आर्थिक नीति एवं आर्थिक विषयक समिति द्वारा की गई अनुशंसाओ पर भलिभाँति विचार करते हुए राज्य सरकार ने तीनों प्राधिकारों का विलयन एवं एकीकरण करते हुए एवं इस एकीकृत प्राधिकार को इसके मूल उद्धेश्य यथा, उद्योग के लिए आधारभूत संरचना के विकास को ध्यान में रखते हुए इसे इस संकल्प के निगर्मन की तिथि से - *''बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार''* के नाम से पुनर्गठित करनें का निर्णय लिया है।

4. पुनर्गठित *बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार* का ढांचा, उसके क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्राधिकार के अन्तर्गत रखे जाने वाले पदों की संख्या परिशिष्ट-I में अंकित है। इस प्राधिकार का मुख्यालय पटना में रहेगा एवं इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय यथा-मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं दरभंगा होंगे। पटना का क्षेत्रीय कार्यालय अलग से नहीं होकर मुख्यालय पटना में ही [illegible] होगा। क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन शाखा कार्यालयों की विवरणी परिशिष्ट-II में